(20)

(५५)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक **निगरानी/**4514/**18/**सिंगरौली/भूरा **वेदन्ती बनाम बबुआराम**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-08-2018	आवेदक श्री वेदान्ती स्वयं उपस्थित हुए उन्हें कायमी पर सुना गया । प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी कलेक्टर सिंगरौली के प्रकरण क्रं0 178/बी-121/16-17 में पारित आदेश पत्रिका दिनांक 17-05-18 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । आलोच्य आदेश पत्रिका दि0 17-05-18 में कलेक्टर सिंगरौली द्वारा रिकार्ड तलब किये जाने के आदेश दिये जाकर प्रकरण आगामी सुनवाई हेतु पेशी नियंत की गई है जिसमें आवेदक वेदांती को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है । ऐसी स्थिति में इस न्यायालय में प्रस्तुत निगरानी में सुनवाई किये जाने को कोई पर्याप्त आधार नहीं होने से अग्राहय किया जाता है । सदस्य 30/8/18	

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र0क0 निगरानी – 4514/2018/सिंगरौली/भू.रा.

बेदन्ती प्रसाद पिता राजमन शुक्ला
सा0 छतौली, तहसील माड़ा, जिला सिंगरौली (म.प्र.) ------------आवेदक

बनाम

1– बबुआराम तनय रामसरन यादव
2– रामगोविन्द तनय रामभरोष यादव
3– छोटेलाल तनय रामभरोष यादव
निवासीगण– सा0 छतोली, तहसील माड़ा, जिला सिंगरौली (म.प्र.)
4– म0 प्र0 शासन ------अनावेदकगण

दुष्यन्त कुमार सिंह
एडवोकेट
म.प्र. उच्च न्यायालय एवं रेवेन्यू बोर्ड
ग्वालियर-3

निगरानी अन्तर्गत धारा–50 (1) म.प्र.भू राजस्व संहिता–1959 (नये संशोधन अधिनियम–2011) विरूद्ध आदेश कलेक्टर महोदय, जिला सिंगरौली म0प्र0 के प्रकरण कमांक 178/बी–121/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 17--5–2018 से परिवेदित होकर।

—2